

## Examrace

# भारत में विस्फोटक पदार्थों का नियमन (Regulation of Explosive Materials in India – Science and Technology)

Doorsteptutor material for CTET-Hindi/Paper-1 is prepared by world's top subject experts: [get questions, notes, tests, video lectures and more](#)- for all subjects of CTET-Hindi/Paper-1.

## अधिनियम/नियम कानून

- विस्फोटक अधिनियम-1884
- ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम -1952
- विस्फोटक नियम-2008

## सुर्खियों में क्यों?

• मध्य प्रदेश में जिलेटिन छड़ों के भंडार में विस्फोट होने से सौ से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना ने, विस्फोटक पदार्थों के विनियमन की प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। घटना देश भर में इन पदार्थों की खरीद और बिक्री पर बेहतर निगरानी और नियंत्रण की मांग करती है।

## नियमन से संबंधित मुद्दे

• विस्फोटक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन का नियमन पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा विभाग (पेसो) द्वारा किया जाता है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

## जिलेटिन छड़ें क्या हैं?

यह एक विस्फोटक पदार्थ है। इनकी खोज डायनामाइट (बड़ी शक्ति का विस्फोटक पदार्थ) की खोज के लिए प्रसिद्ध अल्फ्रेड नोबल के द्वारा की गई थी। बिना डिटोनेटर (विस्फोटक उपकरण) के इनमें विस्फोट नहीं कराया जा सकता। यही कारण है कि इनका भंडारण आसान है।

- पूरे देश में विस्फोटक पदार्थों की निगरानी, एक केन्द्रीय संगठन द्वारा किये जाने पर इसकी क्षमता के संदर्भ में प्रश्न चिह्न लग जाता है।
- प्रभावी नियमन के लिए इस एजेन्सी को कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए।
- एक ऐसे तंत्र को बनाये जाने की आवश्यकता है जो तात्क्षणिक रूप से पुलिस एवं जिलाधिकारी को विस्फोटकों की खरीद एवं बिक्री पर निगरानी रखने में मदद कर सके।

## पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन

### उद्देश्य

• विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के अंतर्गत प्रत्यायोजित दायित्वों एवं उसके अधीन निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, स्वामित्व: विस्फोटकों, पेट्रोलियम उत्पादों एवं कंप्रेस्ड (दबाव) गैसों के इस्तेमाल और बिक्री से संबंधित नियमों को प्रशासित करने के लिए।

- केंद्र सरकार, राज्यों, स्थानीय निकायों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों (कार्यस्थानों) , उद्योग, व्यापार और इन उत्पादों के अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए परिचालन और तकनीकी परामर्श एवं सहायता प्रदान करना है।
- विस्फोटक, पेट्रोलियम, कैल्शियम (एक रासायनिक पदार्थ, चूने का तत्व) के कार्बाइड, ज्वलनशील पदार्थों आदि के विनिर्माण, परिवहन एवं भंडारण के क्षेत्रों में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- बीआईएस, ओआईएसडी एवं अन्य शीर्ष निकायों के सहयोग से सार्वजनिक सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय मानकों का निर्माण तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ भारतीय मानकों का सामंजस्य स्थापित करना।

Developed by: [Mindsprite Solutions](#)